

कार्यालय

नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

// एन.आई.टी. //

कार्य का नाम :- नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा क्षेत्रांतर्गत बाधा तालाब, देवबलौदा के गहरीकरण/सफाई कार्य हेतु किराये पर उपकरण प्रदाय।

क्र.	उपकरण का विवरण	दर का ईकाई	दर
1	बैक-हो-लोडर (डीजल, आईल एवं ऑपरेटर सहित)	प्रति घंटा	
2	चैन माउण्टेड बैक-हो-लोडर (डीजल, आईल एवं ऑपरेटर सहित)	प्रति घंटा	
3	ट्रैक्टर लेवलर (डीजल, आईल एवं ऑपरेटर सहित)	प्रति घंटा	
4	हाईवा (14 क्यूबिक मीटर, 18 टन क्षमता)(डीजल, आईल एवं ऑपरेटर सहित)	प्रति घंटा	
5	डम्पर (6 क्यूबिक मीटर, 8 टन क्षमता) (डीजल, आईल एवं ऑपरेटर सहित)	प्रति घंटा	
6	डीजल वाटर पंप 5 एच.पी. (डीजल, आईल, पाईप एवं ऑपरेटर सहित)	प्रति घंटा	
7	डीजल वाटर पंप 10 एच.पी. (डीजल, आईल, पाईप एवं ऑपरेटर सहित)	प्रति घंटा	
8	डीजल वाटर पंप 20 एच.पी. (डीजल, आईल, पाईप एवं ऑपरेटर सहित)	प्रति घंटा	

नियम एवं शर्तें :-

- 1- एकीकृत पंजीयन प्रणाली/आयकर व जी.एस.टी. में पंजीकृत व्यक्ति/फर्म अंतर्गत जीवित पंजीयन की प्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
- 2- इस कार्यालय की सूचना के 24 घंटे के अंदर आवश्यकतानुसार उपरोक्त वाहन/उपकरण उपलब्ध कराना होगा।
- 3- कार्य की दरें प्रति घंटा की मान से प्रस्तुत करना होगा।
- 4- परिवहन की अधिकतम लीड 0 से 6 कि.मी. होगी। कार्यावधि की गणना लॉग-बुक संधारित करके की जावेगी।
- 5- वाहन/उपकरण मात्रा में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।
- 6- कार्यादेश उपरांत वाहन संलग्न करने के पूर्व वाहन का जीवित पंजीयन एवं बीमा (Insurance) एवं वाहन चालक का जीवित ड्राइविंग लाईसेंस की सत्यापित प्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
- 7- कार्यावधि में वाहनों में टूट-फूट होने या खराबी आने पर संधारण का कार्य ठेकेदार को स्वयं करना होगा एवं वाहन खराब होने की स्थिति में 24 घंटे के अंदर वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा।
- 8- कार्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए निकाय की सूचना पर अतिरिक्त वाहन 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराना होगा।
- 9- शासन निर्देशानुसार आयकर, जी.एस.टी. तथा उपकर अधिनियम 1996 के अंतर्गत नियमानुसार आवश्यक कटौती की जावेगी।
- 10- सशर्त निविदायें मान्य नहीं होगी।
- 11- निविदा स्वीकृति/अस्वीकृति के समस्त अधिकार, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा को होगा, जिस पर कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- 12- निविदा दर की वैधता अनुबंध दिनांक से 01 वर्ष के लिये मान्य होगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
भिलाई-चरौदा